कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यान, जबलपुर संभाग जबलपुर
एल्गिन हॉस्पिटल के सामने

ई-मेल- jdhjabalpur@gmail.com , फैक्स / फोन नं. 0761-2626543

क्रं./उद्यान/भंडार/निविदा/15–16/688 जबलपुर दिनांक 17/09/15

प्रति,

आयुक्त,
जनसंपर्क संचालनालय,
म0प्र0 शासन, बाणगंगा, टेगौर मार्ग,
भोपाल, 462003

विषय :– मसाला बीज क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना के प्रकाशन बावत्।

---00---

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि संभाग अंतर्गत जिलों में वितरण हेतु प्रमाणित मसाला बीज का क्रय किये जाने हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक 24.09.15 को आमंत्रित की गई है। निविदा सूचना का प्रकाशन राष्ट्रीय समाचार पत्रों में किया जाना है, जिसकी सात प्रतियां पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

कृपया निविदा सूचना प्रकाशन की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न :– निविदा सूचना पत्र।
07 प्रति।

17/9

संयुक्त संचालक उद्यान
जबलपुर संभाग जबलपुर

पृ.क्रं./उद्यान/भंडार/निविदा/15–16/689 जबलपुर दिनांक 17/09/15

प्रतिलिपि :–

संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, 6वी मंजिल, विंध्याचल भवन, भोपाल, म0प्र0 की ओर पत्र क्रं./हार्टि/डी–1/02/2015–16/3348, भोपाल दिनांक 16.09.15 में दियें निर्देशों के पालन में सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न - निविदा सू. प्रति

17/9

संयुक्त संचालक उद्यान
जबलपुर संभाग जबलपुर

कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यान
संभाग – जबलपुर
पता : लेडी एल्गिन अस्पताल के सामने, जबलपुर (म0प्र0)
फोन नं. 0761–2626543 फैक्स नं. 0761–2626543
ई–मेल : jdhjabalpur@gmail.com

प्रमाणित मसाला बीजों के क्रय हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना

वर्ष 2015–16 में मसाला क्षेत्र विस्तार एवं मिनीकिट प्रदर्शन योजना के अंतर्गत प्रमाणित धनिया एवं लहसुन मसाला बीज जिनकी किस्में भारत शासन द्वारा नोटिफाईड (अधिसूचित) हो, धनिया क्षेत्र विस्तार हेतु 16429 कि0ग्रा0 व मिनिकिट हेतु 1904 कि0ग्रा0 एवं लहसुन मिनिकिट हेतु 3937 कि0ग्रा0 के क्रय हेतु अल्पकालीन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदाकर्ता उपरोक्त प्रमाणित बीजों में से किसी भी एक फसल की उपलब्ध मात्रा हेतु एवं समस्त बीज की उपलब्धता हेतु निविदा प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र रहेगा, जो कि विभाग के नियम व शर्तो को पूर्ण करता हो।

निविदा फार्म, नियम व शर्तो सहित 1,000/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो कि संयुक्त संचालक उद्यान, संभाग जबलपुर के नाम से देय हो अथवा नकद भुगतान कर कार्यालयीन समय में दिनांक 23.09.15 तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदा दिनांक 24.09.15 को समय दोपहर 02:00 बजे तक प्राप्त की जायेगी। उक्त दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा मान्य नही की जायेगी। प्राप्त निविदाएं उसी दिवस सायं 03:00 बजे खोली जावेगी। निविदा की समस्त शर्त निविदा फार्म में उल्लेखित की गई है तथा निविदा फार्म विभाग की बेबसाईट www.mphorticulture.gov.in से भी डाउनलोड किए जा सकते है।

संयुक्त संचालक उद्यान, जबलपुर को किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताएं निरस्त करने का अधिकार होगा।

संयुक्त संचालक उद्यान
जबलपुर संभाग जबलपुर

कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यान
संभाग – जबलपुर

पता : लेडी एल्गिन अस्पताल के सामने, जबलपुर (म0प्र0)

फोन नं. 0761–2626543 फैक्स नं. 0761–2626543

ई–मेल : jdhjabalpur@gmail.com

वर्ष 2015–16 हेतु संभाग स्तर पर प्रमाणित मसाला बीजों के क्रय हेतु निविदा प्रपत्र।

- निविदा फार्म प्राप्त करने की निर्धारित तिथि एवं समय सीमा– दिनांक 23.09.15 तक कार्यालयीन समय में।

- निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय – दिनांक 24.09.15 दोपहर 02:00 बजे।

- निविदा खोलने की तिथि एवं समय – दिनांक 24.09.15 अपरान्ह 03:00 बजे।

संयुक्त संचालक उद्यान
संभाग– जबलपुर (म0प्र0)

कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यान
संभाग – जबलपुर

पता : लेडी एल्गिन अस्पताल के सामने, जबलपुर (म0प्र0)
फोन नं. 0761–2626543 फैक्स नं. 0761–2626543
ई–मेल : jdhjabalpur@gmail.com

पत्र क्रं. .... जबलपुर, दिनांक..................

प्रति,

....
....
....

विषय :– प्रमाणित मसाला बीजों की संभाग स्तर पर क्रय हेतु निविदा प्रपत्र।

महोदय,

वर्ष 2015–16 में मसाला क्षेत्र विस्तार एवं मिनीकिट प्रदर्शन योजना के अंतर्गत संयुक्त संचालक उद्यान, संभाग– जबलपुर, पता : लेडी एल्गिन अस्पताल के सामने, जबलपुर, प्रमाणित मसाला बीजों के क्रय हेतु अपने नियम व शर्तो सहित निविदाएं आमंत्रित करता है।

जिसमें समस्त नियम व शर्त इस निविदा फार्म के साथ संलग्न करते हुये निविदा फार्म हेतु 1000/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो कि संयुक्त संचालक उद्यान, संभाग जबलपुर के नाम से देय हो (जो कि वापिस योग्य नही होगा) संलग्न करना होगा। निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा निर्धारित ऑफर बॉक्स में दिनांक 23.09.15 अपरान्ह 02:00 बजे तक जमा होगी एवं समिति के द्वारा उपस्थित निविदाकर्ताओं एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यान, लेडी एल्गिन अस्पताल के सामने, जबलपुर में अपरान्ह 03:00 बजे खोली जाएगी। निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नही की जायेगी। सशर्त निविदा को अमान्य किया जावेगा।

संयुक्त संचालक उद्यान को किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

संयुक्त संचालक उद्यान
संभाग– जबलपुर (म0प्र0)

प्रमाणित बीजों की प्रदायगी हेतु नियम व शर्ते निम्नानुसार है।

1. अमानत राशि रूपये 1,00,000/– (एक लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो कि संयुक्त संचालक उद्यान, जबलपुर संभाग के नाम से देय होगा, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। अमानत राशि के अभाव में निविदा अमान्य मानी जावेगी।

2. निविदाकारों को जिन बीजों की दरें न्यूनतम प्राप्त होगी, समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् निविदाकर्ता को अनुबंध के समय उन बीजों के अंतिम प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी, यदि अनुबंध के समय अंतिम प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किये जावेगे तो उनके द्वारा प्रस्तुत दरें स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

3. उपरोक्त बीजों की दरें F.O.R. जिला कार्यालय पहुँचाकर प्रदायगी की रहेगी। अलग से कोई भी अतिरिक्त राशि विभाग द्वारा देय नही होगी।

4. निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अंतिम बीज प्रमाण पत्रों का विभाग द्वारा संबंधित बीज प्रमाणीकरण संस्था से सत्यापन कराया जावेगा, उसके पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

5. क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम हेतु धनियां बीज की पैंकिंग विभाग की मॉग अनुसार लगभग 25 कि0ग्रा0 की तथा मिनीकिट प्रदर्शन हेतु बीजों की पैकिंग लगभग 300 ग्राम से लेकर 5 कि0ग्रा0 तक में छोटे पैकेट तैयार कर प्रदाय करना होगा, जिसका प्रपत्र एवं प्रदाय की जाने वाली मात्रा विवरण बीज प्रदायगी आदेश देते समय दिया जायेगा। तदानुसार चाही गई छोटी पैकिंग में प्रदायगी सुनिश्चित करना होगी। पैकिंग का अलग से कोई भी अतिरिक्त व्यय देय नही होगा।

6. जो किस्में भारत शासन द्वारा नोटिफाईड (अधिसूचित) है उन्ही फसलों/किस्मों के प्रमाणित बीज क्रय किये जाय़ेगे।

7. न्यूनतम दरें फसलवार मान्य की जावेगी।

8. जिन निविदाकारों की फसलवार प्रथम न्यूनतम दरें प्राप्त होगी, यदि उनके द्वारा निविदा में चाही गई पूर्ण मात्रा उपलब्ध नही कराई जावेगी तो उस स्थिति में द्वितीय, तृतीय व अन्य निविदाकार से उनकी दरों पर शेष मात्रा की पूर्ति करायी जावेगी। जिस हेतु प्रथम व द्वितीय न्यूनतम दरों वाले निविदाकार की कोई भी आपत्ति मान्य नही की जायेगी।

9. यदि प्रदाय किये गये बीजों की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी जिले या किसान से कोई शिकायत प्राप्त होती है और यदि जॉच में सही पायी जाती है तो उसका निराकरण स्वयं प्रदायकर्ता को करना होगा।

10. प्रदाय किये जाने वाले बीजों की राशि का भुगतान संबंधित जिलों के द्वारा अधिकतम 120 दिवस में कर दिया जावेगा।

11. जिन निविदाकारों की दरें अनुमोदित की जायेगी उन्हें शासकीय कार्य दिवस में तीन दिन के भीतर प्रदाय की जाने वाली मात्रा का अनुमोदित दरों के मान से 3 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 2 लाख अग्रिम अमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी। जो कि बाद में बीजों की आपूर्ति के पश्चात् प्रदायक को बिना ब्याज के प्रदायगी दिनांक से 120 दिवस में वापस कर दी जायेगी तथा निविदा के साथ जमा की गई राशि को उसी 3 प्रतिशत राशि में समायोजित कर मान्य किया जायेगा।

12. निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दरें केवल **रूपये प्रति कि0ग्रा0** में प्रस्तुत की जावेगी।

13. प्रस्तुत निविदा में सभी पृष्ठों पर सील एवं हस्ताक्षर आवश्यक रहेंगे।

14. निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा में दर अंको में एवं शब्दों में दिया जाना आवश्यक है। किसी भी विवाद की स्थिति में शब्दों में दी गई दर को ही मान्य किया जावेगा।

15. 100 रूपये के स्टॉम्प पेपर पर सहमति एवं घोषणा पत्र परिशिष्ट–1 के अनुसार दिया जाना होगा जो कि नोटरी द्वारा नोटराइज्ड कराकर देना होगा।

16. निविदाओं में दी गई प्रमाणित बीजों की मात्रा अनुमानित है। जो कि निविदा खुलने के पश्चात् समिति द्वारा दरों के अनुमोदन के पश्चात् तथा निविदा में उपलब्ध प्रमाणित बीजों की मात्रा के आधार पर अंतिम माँग निश्चित की जायेगी।

17. जिन लॉटो के बीजों की प्रदायगी की जावेगी उन बीजों की मूल थैलियों से निकाले गए प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जारी किये गये मूल टेग अनिवार्य रूप से संभागीय कार्यालय में जमा कराना होगा।

18. बीजों की प्रदायगी आदेश दिनांक से 20 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण करनी होगी।

19. यदि प्रदायक के द्वारा आदेशित मात्रा के अनुसार बीज नहीं प्रदाय किया जावेगा। तो जो अमानत राशि विभाग के पास अग्रिम राशि के रूप में जमा होगी, उसे विभाग राजसात करने हेतु स्वतंत्र होगा तथा ऐसे प्रदायकों को काली सूची में दर्ज किया जायेगा।

20. प्रदाय की जाने वाले बीजों की फसलवार एवं किस्मवार मात्रा का पूर्ण विवरण निविदाकर्ता को निविदा में स्पष्ट रूप से देना होगा।

21. निविदाकर्ता निविदा में दी गयी बीजों की मात्रा में से समस्त फसलों के बीजों की मात्रा हेतु अथवा किसी भी एक बीज की कितनी ही मात्रा हेतु निविदा शर्तो के अनुसार निविदा में प्रस्तुत करने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।

22. किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार बिना कोई कारण बताये संयुक्त संचालक उद्यान, संभाग जबलपुर को होगा।

23. क़िसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र संभागीय न्यायालय होगा।

24. जिन निविदा कर्त्ताओं की दरों का अनुमोदन विभाग द्वारा किया जावेगा, उनका अनुबंध 3 दिवस के भीतर संबंधित निविदाकर्त्ता को करना होगा, तथा अनुबंध के साथ सिक्योरिटी राशि जमा कराना होगी।

25. क्रय किये जाने वाले बीजों की मात्रा आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा की जा सकती है।

संयुक्त संचालक उद्यान
संभाग– जबलपुर (म0प्र0)

<u>निविदा फार्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों की चैक लिस्ट</u>

1. संकल्प धनराशि रूपये 1 लाख का बैंक ड्राफ्ट।
2. बीजों के वैध लाईसेन्स की प्रति।
3. टिन नंबर एवं पैन नंबर की प्रति।
4. निविदाकार फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर की प्रति।
5. यदि निविदाकार स्वयं उपस्थित नहीं होता है तो उसके द्वारा निविदा प्रस्तुत करने एव निविदा से संबंधित समस्त कार्यवाही हेतु दिये गये अधिकार पत्र की मूल प्रति स्वप्रमाणित हस्ताक्षर सहित।
6. विभाग को प्रमाणित बीजों की प्रदायगी बाबत् 100 रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सहमति पत्र एवं घोषणा पत्र।
7. काली सूची में एवं किसी भी संस्था द्वारा दण्डित न होने पर एवं किसी भी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन न होने का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराईज़्ड किया हुआ घोषणा पत्र।

संयुक्त संचालक उद्यान
जबलपुर संभाग, जबलपुर

परिशिष्ट 'अ'

कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यान
संभाग – जबलपुर

पता : लेडी एल्गिन अस्पताल के सामने, जबलपुर (म0प्र0)
फोन नं. 0761–2626543 फैक्स नं. 0761–2626543

ई–मेल : jdhjabalpur@gmail.com

पत्र क्र. .... दिनांक ....

प्रति,

संयुक्त संचालक उद्यान,

संभाग जबलपुर (म0प्र0)

महोदय,

1. प्रदायक का नाम एवं पता ....

   ....
2. फोन नं. .... फैक्स नं. ....
3. टिन नं. ....
4. पैन नं. ....
5. फर्म का रजिस्ट्रेशन नं. .... वैधता दिनांक ....

परिशिष्ट 'ब'

कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यान
संभाग – जबलपुर

पता : लेडी एल्गिन अस्पताल के सामने, जबलपुर (म0प्र0)
फोन नं. 0761–2626543 फैक्स नं. 0761–2626543
ई–मेल : jdhjabalpur@gmail.com

पत्र क्र. ....

दिनांक ....

(प्रमाणित मसाला बीज की उपलब्धता के संबंध में)

सं. क्र.	फसल का नाम	किस्म / प्रजाति	प्रदाय की जाने वाली मात्रा क्विंटल में
1	धनियां		
2	लहसनु		

संयुक्त संचालक उद्यान
जबलपुर संभाग, जबलपुर

वित्तीय ऑफर

कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यान
संभाग – जबलपुर

पता : लेडी एल्गिन अस्पताल के सामने, जबलपुर (म0प्र0)
फोन नं. 0761–2626543 फैक्स नं. 0761–2626543
ई–मेल : jdhjabalpur@gmail.com

वर्ष 2015–16 हेतु प्रमाणित मसाला बीजों के क्रय हेतु वित्तीय ऑफर

1. प्रदायक का नाम एवं पता ....

....

2. फोन नं. .... फैक्स नं. ....

3. ई–मेल ....

सं. क्र.	फसल का नाम	किस्म / प्रजाति	प्रदाय की जाने वाली मात्रा क्विंटल	प्रदाय दर रूपये प्रति कि0ग्रा0 जिला कार्यालय पहुचाकर	
				अंको में	शब्दों में
1	धनियां				
2	लहसुन				

संयुक्त संचालक उद्यान
जबलपुर संभाग, जबलपुर

अनुबंध

परिशिष्ट 'स'

मेरे द्वारा विभाग की समस्त शर्तो को मान्य करते हुये अपनी निविदा प्रस्तुत की गयी है तथा हम निम्न मात्रा के प्रदाय हेतु विभाग से आज दिनांक .... को अनुबंध निष्पादित कर रहें है।

प्रमाणित बीजों की अनुबंधित मात्रा का विवरण

सं. क्र.	फसल का नाम	किस्म / प्रजाति	प्रदाय की जाने वाली मात्रा क्विंटल में	प्रदाय दर रूपये प्रति कि0ग्रा0 जिला कार्यालय पहुचाकर	
				अंको में	शब्दों में
1	धनियां				
2	लहसुन				

यह अनुबंध आज दिनांक .... को संयुक्त संचालक, उद्यान, संभाग जबलपुर के मध्य किया गया है तथा दिनांक .... को प्रस्तुत निविदा में मेरी फर्म की विभाग के पत्र क्र. .... दिनांक .... के द्वारा अनुमोदित दरों पर प्रमाणित मसाला बीजों की प्रदायगी हेतु अनुबंध निष्पादित कर रहे है। अनुबंध की समस्त शर्ते हमें मान्य है।

संयुक्त संचालक उद्यान
संभाग जबलपुर (म0प्र0)

गवाह :

1. ....

2. ....

प्रदायक संस्था

100/– रूपये के स्टॉम्प पेपर पर

मैं .... मेसर्स ....
की ओर से विभाग द्वारा आमांत्रित प्रमाणित मसाला बीज की निविदा हेतु निम्नलिखित कथन करता हूँ :–

1. यह कि मेरी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है।

2. यह कि मेरी फर्म को किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम द्वारा कभी प्रदाय के लिये दण्डित नहीं किया गया है।

3. यह कि मेरी फर्म का इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

संयुक्त संचालक उद्यान
जबलपुर संभाग, जबलपुर